आयकर अपीलीय अधिकरण,
इंदौर (एकल सदस्यीय) न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य

आ. अ. सं. 881 /इंदौर /2018
निर्धारण वर्ष : 2011-12

श्री विशनजी सावला, विदिशा	बनाम	आयकर अधिकारी विदिशा
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एडीएपीएस 8437 एन		

अपीलार्थी की ओर से	श्री एन.डी.पटवा, एडवोकेट
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री वी.जे.बोरिचा, विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	14.01.2020
उद्घघोषणा तिथि :	15.01.2020

आदेश

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-2, भोपाल के आदेश दिनांक 21.08.2018 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है । यह अपील 11 दिनों से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि निर्धारिती की उम्र 75 वर्ष है तथा सितंबर, 2018 से वह उच्च रक्तचाप एवं हृदय संबंधी विकारों से ग्रसित है । निर्धारिती को डॉक्टर द्वारा 6 हफ्तों का बेड रेस्ट करने को कहा गया था । निर्धारिती विदिशा में रहता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से वह इंदौर स्थित अधिवक्ता से अपील दाखिल करने के विषय में उचित रूप से समन्वय नहीं कर पाया । इस वजह से अपील दाखिल करने में विलंब हुआ ।

निर्धारिती द्वारा उसके निवेदन के समर्थन में शपथपत्र तथा मेडीकल प्रमाणपत्र भी दाखिल किए गए हैं । निर्धारिती ने अतः अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने का अनुरोध किया है । मैंने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील को दाखिल करने में हुए विलंब को माफ किया जाता है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का उचित तथा विस्तृत रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी ।

3. मैंने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । मैंने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने गुणागुण पर विस्तृत सकारण आदेश पारित नहीं किया था जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः, न्याय के हित में, मैं विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझता हूँ । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है । निर्धारिती को भी इस संबंध में स्वप्रेरणा से (suo motu) विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने तथा अनावश्यक स्थगन नहीं मांगकर सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है

आदेश 15.01.2020 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(कुल भारत)

न्यायिक सदस्य

दिनांक : 15.01.2020

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल